शुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 136/2019

श्रीमती राजन्ती देवी
पत्नि श्री परमानन्द बैरवा
दक्षिणपुरी 65, फलेट नं. 204
श्रीकिसनपुरा, नजदीक आशादीप ग्रीनुए,
जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 24.12.2019
अपील में निर्णय की दिनांक 21.10.2020

निर्णय

अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रथम अपील मूल आवेदन पत्र दिनांक 07.11.2019 के माध्यम से कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गई सूचना के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक F(1077)/RAJUVAS/Reg,./RTI/2019/313 दिनांक 06.12.2019 द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर/सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 07.11.2019 प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। जिस पर कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी अपने पत्रांक F(1077)/RAJUVAS/Reg,./RTI/2019/313 दिनांक 06.12.2019 से आवेदक को प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 06.12.2019 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वांछित सूचना के बिन्दु	पृष्ठों की गणना एवं देय शुल्क
1.	आपके महाविधालय के प्रथम वर्ष के छात्रों की वर्ष 2017-18 व 2018-19 की विषयवार उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित फोटोप्रति उपलब्ध करवाएं।	वांछित सूचना के संबंध में लेख है कि चाही गई सूचना गोपनीय श्रेणी एवं तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं है।क्योंकि शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में छात्र से जुडी व्यक्तिगत जानकारियां यथा उसका नाम,पिता का नाम,माता का नाम,रोल नं. एवं शैक्षणिक सूचनाएं अंकित होती है।
2.	आपके महाविधालय में Internial Assesment व वार्षिक परीक्षाओं में उपस्थिति होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की अनिवार्यता कितने प्रतिशत है तथा यह प्रतिशत विषयवार मान्य है या ओवरऑल उपस्थिति के आधार पर मान्य है।इस संबंध में लिखित दस्तावेजों की प्रति उपलबध करवायें।	वांछित सूचना के संबंध में लेख है कि प्रत्येक विषय एवं प्रत्येक परीक्षा में अलग-अलग 75 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य है।

3.	आपके महाविधालय में वर्ष 2017–18 व 2018–19 प्रथम वर्ष में कैटेगरीवाईज I.e Genaral,OBC,SC,ST के कितने छात्र अध्ययनरत थे। इस संबंध में लिखित दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करवाऐं।	वांछित सूचना जिस स्वरूप में चाही गई है उस प्रारूप में सूचना अभिलेख में संधारित नहीं होने के कारण उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है।
4.	आपके महाविधालय में वर्ष 2017–18 व 2018–19 प्रथम वर्ष में कैटेगरीवाईज I.e Genaral,OBC,SC,ST के कितने छात्र थ्योरी में फैल हुए व कितने छात्र प्रेक्टिकल में फेल हुए इनका विवरण विषयवार संबंधित दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करवाऐं।	वांछित सूचना जिस स्वरूप में चाही गई है,उस प्रारूप में सूचना अभिलेख में संधारित नहीं होने के कारण उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि परीक्षा परिणाम को विश्वविधालय की वेबसाईट व समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त संबंधित महाविधालय के अधिष्ठाता द्वारा सूचनापटट पर भी इसका प्रकाशन करवाया जाता है।
5.	जिन छात्रों की उपस्थिति निर्धारित मापदण्डों से कम होती है, उन्हें Internial Assesment तथा वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने के कितने दिन पहले सूचित करने का प्रावधान है। इस संबंध में दस्तावेज उपलब्ध करवाऐं।	वांछित सूचना के संबंध में लेख है कि छात्र,छात्राओं को प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उनकी उपस्थिति के बारे में अवगत करवाया जाता है तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा से पूर्व अंतिम कालांश तक की उपस्थिति को सम्मिलित करते हुए गणना की जाती है। 75 प्रतिशत से कम वाले छात्र–छात्राओं को परीक्षा में नहीं बैठाया जाता है। विश्वविधालय के नोटिफिकेशन दिनांक 22.06.2015 की प्रति संलग्न है।
6.	मेरे पुत्र राजेश बैरवा पुत्र श्री परमानन्द बैरवा की First Professional B.V.Sc &A.H.Examination वर्ष 2017–18 व 2018–19 की सभी विषयों की Internial Assesment व Annual परिक्षाओं की उतरपुस्तिकाओं की प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करवायें।	वांछित सूचना के संबंध में लेख है कि चाही गई सूचना गोपनीय श्रेणी व तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के पत्र दिनांक 06.12.2019 द्वारा प्रदत्त सूचना/प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं होने का उल्लेख करते हुए यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक एफ (अ–136/2019)VCS/RAJUVAS/RTI/2019/19 दिनांक 23.01.2020 व दि.05.03.2020, 27.08.2020, 17.09.2020,30.09.2020 के द्वारा अपील में सुनवाई हेतु अपीलार्थी को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। आज सुनवाई दिनांक 21.10.2020 को अपीलार्थी अनुउपस्थित रहा। दौरान सुनवाई कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की और से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र दिनांक 06.12.2019 के द्वारा विश्वविधालय के रेकार्ड अनुसार सूचना प्रेषित कर दी गई। अतः अपील निरर्थक हो चुकी है। उक्त तथ्य के मध्यनजर प्रत्यर्थी पक्ष में अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का मनन् किया एवं अभिलेख का परिशीलन किया। उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को पत्र दिनांक 06.12.2020 से प्रत्युत्तर/सूचना प्रदान की जा चुकी है तथा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के निस्तारण में संपादित की गई कार्यवाही उचित है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नही है अतः अपील अपीलार्थी उक्त तथ्यों व आधारों पर खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

21/10/2020

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर